कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/ए–3/केशर सिंह/2022/03 दिनांक 25.03.2022 द्वारा श्री केशर सिंह, प्रधानाचार्य, राउमावि टोडास – कुचामनसिटी जिला नागौर को प्रशासनिक कारणों से आदेशों की प्रतीक्षा में किया जाकर मुख्यालय कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर किया गया था। तत्पश्चात श्री केशर सिंह का कार्यालय हाजा के आदेश क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/बी–2/45002/एपीओ पदस्थान/प्रधानाचार्य/2022 दिनांक 29.03.2022 द्वारा पदस्थापन राउमावि दौलतपुरा – डीडवाना जिला नागौर किया गया था। उक्त दोनों आदेश के विरूद्ध श्री केशर सिंह द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 1217/2022 केशर सिंह बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई।

अपील में माननीय अधिकरण द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 07.04.2022 द्वारा अपीलार्थी के सम्बन्ध में जारी विभागीय आलोच्य आदेश दिनांक 25.03.2022 एवं 29.03.2022 का क्रियान्वयन अपीलार्थी के पदस्थापन के संबंध में माननीय अधिकरण के आगामी आदेश तक स्थगित किया गया है साथ ही माननीय अधिकरण द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि प्रत्यर्थीगण द्वारा स्थानान्तरण पर प्रतिबन्ध की स्थिति में राज्य सरकार के सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर स्थानान्तरण किया जाता है तो स्थगन आदेश इसमें बाधक नहीं होगा।

चूंकि वर्तमान में प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (अनुभाग–1) राजस्थान सरकार, जयपुर की आज्ञा प.5(1)प्रसु/सम/अनु–1/2019 जयपुर दिनांक 30.05.2022 द्वारा राजकीय अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण प्रतिबन्ध पर अग्रिम आदेशों तक छूट प्रदान की गई है, अतः माननीय अधिकरण के उक्त अन्तरिम आदेश की अनुपालना में नवीन आदेश प्रसारित करते हुए प्रशासनिक अत्यावश्यकता एवं जनहित में श्री केशर सिंह को राउमावि दौलतपुरा – डीडवाना जिला नागौर में प्रधानाचार्य के पद पर पदस्थापित किया जाता है। सम्बन्धित अधिकारी तत्काल आदेश की पालना सुनिश्चित करे। **इन्हें योगकाल एवं यात्रा भत्ता नियमानुसार देय होगा।**

Rajasthan Education Department

(गौरव अग्रवाल)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–मा./संस्था/बी–2/अपील/केशर सिंह/1217/2022/17 दिनांकः 23/06/2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीया शिक्षा राज्य मंत्री प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, अजमेर।
6. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, नागौर।
7. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक, नागौर।
8. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
9. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर।
10. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
11. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
12. श्री केशर सिंह, प्रधानाचार्य राउमावि टोडास (नागौर) को आदेश की पालनार्थ।
13. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)